



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/765

दिनांक:- 23/06/2023

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- जोन-6 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 13/2023 वीं बैठक दिनांक 23.06.2023 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-06 की 08/2023 वीं बैठक दिनांक 04.04.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	बिराई	994 / 544	01.00.00 बीघा में से 1085.35 वर्गमीटर	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री बक्शाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम बिराई के खसरा संख्या 994/544 रकबा 01.00.00 बीघा में से 1085.35 वर्गमीटर में पेट्रोल पम्प (किसान सेवा केन्द्र) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:- 1. आवेदित भूमि के 30 मीटर परिधि के बाहर एवम् 50 मीटर परिधि में आवासीय मकान स्थित होने के कारण आवेदक से पेसो की अनापत्ति प्राप्त की जावे। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित रास्ता खसरा संख्या 544 सरकारी भूमि में स्थित है। अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त सड़क की श्रेणी तथा मौके पर विद्यमान एवम् प्रस्तावित मार्गाधिकार की सूचना प्राप्त करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 3. सार्वजनिक निर्माण विभाग से उक्त सड़क के विद्यमान मार्गाधिकार से आवेदित भूमि की सीमा के मध्य स्थित भूमि की किस्म व स्वामित्व के संबंध में परीक्षण कर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। 4. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 30 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 30 मीटर भूमि आरक्षित की जावे। 5. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित एल.टी लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावे। उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	आंगणवा	114 / 1, 115	07.07.03 बीघा	आवासीय योजना

8

आवेदक	श्री शेराराम पुत्र श्री तुलछाराम
विषय:-	राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 114/1, 115 रकबा 07.07.03 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में आवेदित भूमि को विद्यमान पहुंच मार्ग की उपलब्धता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त किए जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तदोपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 04:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	पूजला	250/1/2, 250/10, 374/250	03.00.18 बीघा में से 01.16.01 बीघा	शैक्षणिक एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री नरेश गहलोत पुत्र श्री छंवरसिंह गहलोत, श्री सुनिल गहलोत पुत्र श्री छंवरसिंह गहलोत एवं श्रीमती संगीता गहलोत पत्नी श्री सुनिल गहलोत				
विषय:-	राजस्व ग्राम पूजला के खसरा संख्या 250/1/2, 250/10, 374/250 रकबा 03.00.18 बीघा में से 01.16.01 बीघा में शैक्षणिक (मिडिल स्कूल) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में आवेदित भूमि के पीछे शेष भूमि को पहुंच मार्ग किस प्रकार उपलब्ध होगा, के संबंध में आवेदक से जानकारी प्राप्त किए जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तदोपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

एजेण्डा संख्या 05:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	पूजला	235/5/1	00.10.00 बीघा	आवासीय एकल
आवेदक	श्री प्रदीप सांखला पुत्र श्री श्याम सिंह				
विषय:-	राजस्व ग्राम पूजला के खसरा संख्या 235/5/1 रकबा 00.10.00 बीघा में आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. आवेदित भूमि के सड़क भाग में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति प्राप्त करते हुए नियमानुसार सेपटी कॉरिडोर का प्रावधान किया जावे। 3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।				

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 06 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	सुरपुरा	42/1 से 42/3	10.16.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भीखाराम पुत्र अन्नाराम, श्रीमती भगवती पत्नी श्री भंवरलाल, श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री अन्नाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सुरपुरा के खसरा संख्या 42/1 से 42/3 रकबा 10.16.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित खसरा संख्या 42 के अनुमोदित ले-आउट प्लान में विद्युत लाईन के नीचे दर्शायी गयी सड़क को निरन्तर रखा जाकर आवेदक से संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त किया जावे। साथ ही खसरा संख्या 42/1 से 42/3 का तरमीम सुदा मानचित्र प्राप्त किया जाने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तदोपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

एजेण्डा संख्या 07:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	कडवड	453/9	01.18.04 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री मनीष पुत्र श्री गौरीशंकर				
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 453/9 रकबा 01.18.04 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 09 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सड़क मार्गाधिकार हेतु 09 मीटर रखते हुए सड़क मध्य से 4.5 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित				

	नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
4.	उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 08 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	कडवड	453/8	02.17.06 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री नारायणलाल बोमेश पुत्र श्री केसाराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 453/8 रकबा 02.17.06 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 09 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जावे। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 09 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 4.5 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावे एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावे। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।				

एजेण्डा संख्या 09:-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	कडवड	453 मीन	04.09.18 बीघा	फार्म हाउस एकल
आवेदक	श्री नारायणलाल बोमेश पुत्र श्री केसाराम				

8

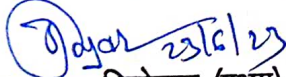
विषय:-	राजस्व ग्राम कडवड के खसरा संख्या 453 मीन रकबा 04.09.18 बीघा में फार्म हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 09 मीटर निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जाएं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 09 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 4.5 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जाएं। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं। 2. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जाएं एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जाएं। 3. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे। 4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जाएं कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जाएं। 5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	सेवकी कलां	680/659	781.04 मीटर	पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड
आवेदक	श्री महेश कुमार पुत्र श्री लादुराम				
विषय:-	राजस्व ग्राम सेवकी कलां के खसरा संख्या 680/659 (पुराना खसरा संख्या 659/445) रकबा 01.00.00 बीघा में से 00.09.13 बीघा अर्थात् 781.04 मीटर में पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि के सामने स्थित मुख्य मार्ग के आर.ओ.डब्ल्यू को 30 मीटर (आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में उक्त सडक का मार्गाधिकार पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा जारी मानचित्र अनुसार 36 मीटर प्रस्तावित) निर्धारित किये जाने के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के बिन्दु संख्या 01 अनुसार आपत्ति आमंत्रण की कार्यवाही जोन स्तर पर की जाएं। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर सडक मार्गाधिकार हेतु 30 मीटर रखते हुए सडक मध्य से 15 मीटर भूमि में आ रही प्रार्थी की भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जाएं। आपत्ति प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जाएं।				

	2. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2022 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या 03 के कम में नियमानुसार राशि जोन स्तर पर वसूल की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। 3. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 4. आवेदक से आवेदित क्षेत्र को राजस्व मानचित्र पर अंकन कर प्राप्त किया जावें तथा जोन स्तर से जांच की जावें। 5. एन.जी.टी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना आवेदक तथा जोन स्तर पर की जावें। 6. राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड/संबंधित विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन की पूर्ण पालना की जावें। 7. प्रार्थी से संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें। 8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। 9. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 10. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	---

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


उप नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

एजेण्डा संख्या 11 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
23.06.2023	जोन-6	बासनी तम्बोलिया व बासनी मालियान्	289, 1	—	आवासीय योजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक ब्लॉक्स के अनुमोदन हेतु
आवेदक	प्राधिकरण की आवासीय योजना।				
विषय:-	राजस्व ग्राम बासनी तम्बोलिया व बासनी मालियान् के खसरा संख्या 289, 1 में स्थित प्राधिकरण की सुन्दर सिंह भण्डारी योजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक ब्लॉक्स के ले-आउट प्लान अनुमोदन किये जाने के संबंध में।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत समिति द्वारा आयोजना शाखा प्रस्तुत मानचित्र में प्रस्तावित दुकानों का नाप 8 फीट × 12 फीट के स्थान पर न्यूनतम 10 फीट × 12 फीट तथा प्रस्तुत मानचित्र में कॉमन सीढ़ियों को हटाते हुए सुन्दर सिंह भण्डारी योजना के मध्य स्थित सर्कल के चारों ओर प्रस्तावित 04 वाणिज्यिक ब्लॉक्स के ले-आउट प्लान को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।				

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

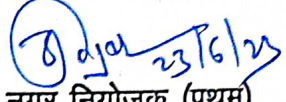
23/6/23
उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/366-371.
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 23/06/2023

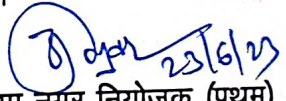
01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।


उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 13/2023 वीं बैठक दिनांक 23.06.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री राकेश परिहार, कार्यवाहक निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण कुमार विश्णोई, उपायुक्त (जोन-6) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 7. प्रियंका चौपडा, सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |


उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव